



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/ आषाढ़ 26, 1936

No. 217]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 2 जुलाई, 2014

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) (सशोधन) विनियमावली, 2014”

फा.सा मासिक सा 1773/स्टाफ सामान्य (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक-मण्डल एतदद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 2001 में निम्नलिखित सशोधन करता है:-

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) (सशोधन) विनियमावली, 2014 कहा जाएगा।
2. ये विनियम 01 अप्रैल, 2014 से लागू होंगे।
3. विनियम 16 में निम्नलिखित उप-विनियम (क) को शामिल किया जाएगा:-  
 “(i) कोई कर्मचारी जो परिवीक्षाधीन हो अथवा उच्चतर श्रेणी में आरम्भिक ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो, उसे सामान्यतः उस ग्रेड में परिवीक्षा-अवधि पूर्ण होने पर स्थायी किया जाएगा, बशर्ते उसे स्थायी पद पर स्थायीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया हो।  
 (ii) कर्मचारी के उच्चतर ग्रेड में स्थायीकरण की आवश्यकता तब तक नहीं होगी, जब तक वह उसी श्रेणी में बना रहे।”
4. विनियम 25 के मौजूदा उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 “(2) कोई कर्मचारी जिसे किसी उच्चतर श्रेणी में स्थानापन्न रूप में या नियुक्ति पर नियुक्ति किया गया हो अथवा उच्चतर श्रेणी में जिसका स्थायीकरण अथवा नियुक्ति किसी विनिर्देश अवधि की परिवीक्षा पूरी करने अथवा अन्य शर्त के अधीन हो, उसे कर्मचारी की स्थानापन्नता अथवा परिवीक्षा-अवधि में बिना कोई सूचना दिए, किसी भी समय पर अवनति किया जा सकता है।”

एन.के. मझी, उप-प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 139—ए / 14]

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA  
NOTIFICATION**

Lucknow, the 2nd July, 2014

**“The Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2014”**

**F No. HRV No. 1773/Staff General (2).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulations, 2001, namely:-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2014.

2. These Regulations shall come into force with effect from April 01, 2014.

3. After Regulation 16 the following Regulation 16(A) shall be inserted:-

*16 (A) “(i) An employee on probation or officiating in an initial Grade in a higher Class will ordinarily be confirmed in that Grade on completion of probation period subject to his/her being found suitable for confirmation against a permanent post.*

*(ii) No further confirmation in any higher Grade will be required of the employee till that employee continues to be in the same Class of the service.”*

4. The existing sub-regulation (2) of Regulation 25 shall be substituted with the following:-

*“(2) An employee who has been appointed to officiate in a higher Class or appointment, or whose confirmation in a higher Class or appointment is subject to the employee undergoing probation for any specified period or otherwise, shall be liable to be reverted without notice at any time, when the employee is so officiating or undergoing probation.”*

N.K MAINI, Dy. Managing Director

[ADVT.-III/4/Exty./139-A/14]